

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 23/2022

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. राणीदानसिंह पुत्र चावण्डसिंह राजपूत
2. पेमाराम पुत्र भीखाराम
3. गायडराम पुत्र बगताराम
4. बाबूलाल पुत्र बगताराम
5. श्रीमती जडाव देवी पत्नी बगताराम
6. किशोर पुत्र हडमानराम
7. प्रभूराम पुत्र हडमानराम
8. गंगा पत्नी हडमानराम
9. श्रीमती पतासी देवी पत्नी राजूराम
10. श्रीमती सागरदेवी पत्नी घेवरराम
11. श्रीमती बीरो पत्नी गंगाराम
12. पप्पाराम पुत्र नरिंगाराम
13. पारूदेवी पत्नी मोतीराम
समस्त जातियान-बाहम्ण
14. सगतसिंह पुत्र गुमानसिंह
15. अभयसिंह पुत्र गुमानसिंह
16. रूपसिंह पुत्र लाभूसिंह
17. श्रीमती गेनकंवर पत्नी अमरसिंह
18. श्रीमती चन्द्रकंवर पत्नी नरपतसिंह
19. श्रीमती गेनकंवर पत्नी पन्नेसिंह
20. किशनसिंह पुत्र आईदानसिंह
21. गोकलसिंह पुत्र आईदानसिंह
22. रूघसिंह पुत्र आईदानसिंह
23. खीवसिंह पुत्र नेतसिंह
24. डुंगरसिंह पुत्र नेतसिंह
25. महेन्द्रसिंह पुत्र गायडसिंह
26. जितेन्द्रसिंह पुत्र गायडसिंह
27. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी गायडसिंह
28. उम्मेदसिंह पुत्र मेहराजसिंह
समस्त जातियान-राजपूत, निवासी-
भालू रतनगढ, तहसील बालेसर

1. तहसीलदार, बालेसर
जिला जोधपुर



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या /2018 अनवान तहसीलदार, बालेसर बनाम समस्त ग्राम भालू रतनगढ में पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 23/2022 राणीदानसिंह वगैराह बनाम राज्य

उपस्थिति:—

1. श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 27 मार्च, 2024

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा प्रकरण संख्या/2018 अनवान तहसीलदार, बालेसर बनाम समस्त ग्राम भालू रतनगढ में पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरुद्ध दिनांक 04.02.2019 को प्रस्तुत की गई।
2. पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार बालेसर के द्वारा रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम भालू रतनगढ, तहसील बालेसर के ख0सं0 432, 431, 428, 427, 426, 424, 422, 412, 411, 354, 353, 356, 379 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए उपरोक्त खसरान भूमि की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते की रकबा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित कर दिया गया जो अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जबकि उक्त खसरान में अपीलान्टस की खातेदारी वाले खसरान की भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।
3. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उसकी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। रास्ते मांगे जाने हेतु किसी काश्तकार/खातेदार के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, राजस्व कर्मचारियों ने मनमर्जी से रास्ता बताकर प्रस्ताव पेश कर दिया गया मौके पर आज भी कोई रास्ता कायम नहीं है।



राजस्व अपील संख्या 23/2022 राणीदानसिंह वगैराह बनाम राज्य

4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की एकतरफा जॉच रिपोर्ट भी हितबद्ध व भूमि के अपीलान्टस/खातेदारान की गैर गौजूदगी में एकपक्षीय व मिलीभगती से तैयार की गई, को आधार मानकर फेसला किया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन है, जो निरस्त योग्य किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किया जावें।
5. प्रत्युत्तर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बालेसर की ओर से प्रेषित प्रस्ताव जिसमें रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के तहत ग्राम रतनगढ, तहसील बालेसर के ख0सं0 432, 431, 428, 427, 426, 424, 422, 412, 411, 354, 353, 356, 379 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने बाबत पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार स्वीकार किया गया है जो बहाल रख जावें।
6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि आदेश में वर्णित ग्राम रतनगढ, तहसील बालेसर के ख0सं0 432, 431, 428, 427, 426, 424, 422, 412, 411, 354, 353, 356, 379 की रकबा भूमि में से चलायमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद करने का प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे को रास्ते में दर्ज किये जाने का जो आदेश दिनांक 06.06.2018 को पारित किया है वो प्रभावित खातेदारान/अपीलार्थीगण को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है।
7. ऐसे में हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलान्टगण की खातेदारी के उल्लेखित खसरांन की रकबा भूमि



राजस्व अपील संख्या 23/2022 राणीदानसिंह वगैराह बनाम राज्य

के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 में अंकित अपीलान्तस के खसरान की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार बालेसर से मौका जाँच करवाकर मौका फर्द तैयार करावें, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बालेसर उक्तानुसार तैयार मौका फर्द एवं उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः यथोचित आदेश पारित करे। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




27/03/24
(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर